उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मुकदमा मिसल मय दावा नं० ...22/2015... सन् 2015

महमूद खां बनाम आबिद वगैरा

| तारीख | दावा<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 26.02.2015 यह दावा वादी महमूद खां पुत्र समीर खां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 13.3.2015 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |
| | 13-3-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~वकील उभयपक्ष~~ उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है~~ अतः पत्रावली दि० 14-3-15 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>रीडर | |
| | 14-3-15 वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित है। प्रतिवादी नं० 1 की ओर से श्री सतीश चन्द शर्मा Ad. ने वकालतनामा पेश किया, जवाब दावा पेश किया एवं राजीनामा भी पेश किया। प्रतिवादी नं० 1 स्वयं उपस्थित है। राजीनामा दोनो पक्षो को सुनाया व समझाया गया। दोनो पक्षो ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के वकीलो को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उप जिला कलेक्टर<br>गंगापुर सिटी (स०मा०) | 1-2 - महमूद खां<br>(हस्ताक्षर) 20/3/2015<br>(हस्ताक्षर)<br><br>लोक अदालत की भावना से दोनो पक्षो मे अदालत मे पेश होकर राजीनामा पेश इस प्रकरण मे पेश किया।<br>Gangapur<br>(सदस्य लोक अदालत)<br>(हस्ताक्षर)<br>(सदस्य) |

## पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 22/2015 | 26.02.2015 | 14.03.2015 |

महमूदखां पुत्र समीरखां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी ----वादी

**बनाम**

1. आबिद पुत्र महमूदखां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

**दावा घोषणां खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज**

उपस्थितः– श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

**निर्णय**

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी के 6 पुत्र आबिद, जाबिर, इमरान, आसिफ, अफजल व रिहान है। इनमें आबिद सबसे बडा तथा कुछ पढा लिखा है। शेष पुत्र अनपढ हैं और वादी भी निरक्षर है। वादी के पिता समीरखां के वादी ही एक मात्र पुत्र है। समीरखां के वादी के अलावा अन्य कोई पुत्र नहीं है। गांव उदेईकलां में आबिद पुत्र समीरखां नाम का भी कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि एकीकरण ख0नं0 426/1 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, 426/2 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, 426/3 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा , 950 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, 964 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 1189 रकबा 19 बिस्वा, 1260 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 44 बीघा 6 बिस्वा ग्राम उदेईकलां में स्थित रही है। ख0नं0 426/1, 426/2, 426/3 के ही स्थान पर शामिल हुए नम्बर हैं। इनके सेटिलमेंट में नवीन नम्बर 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर कुल रकबा 5.55 हैक्टर बनाए गए है जिन पर वादी का कब्जा है। सन् 2014 में प्रतिवादी ने वादी से कहा कि भूमि ख0नं0 2794, 2795, 2818, 2819 तो उसकी खातेदारी में है अब वह आपको व उसके अन्य भाईयों को इन नम्बरो पर काश्त नहीं करने देगा। वादी ने प्रतिवादी से कहा कि उसने यह जमीन अपने नाम कैसे लगवा ली है। वादी ने अपने मिलने वाले रिश्तेदार व पांच आदमियों को बुलवाकर प्रतिवादी से बातचीत की एवं प्रतिवादी ने उनके सामने अपनी गलती स्वीकार की परन्तु प्रतिवादी ने इसकी दुरूस्ती करवाने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। वादी ने सन् 2014 में राजस्व कागजात निकलवाए तो ज्ञात हुआ कि वास्तव में भूमि ख0नं0 2794, 2795, 2818, 2819 ग्राम उदेईकलां जमाबंदी में आबिद पुत्र समीर के नाम खातेदारी में दर्ज है जबकि यह भूमि महमूदखां पुत्र समीरखां के नाम आनी चाहिए थी। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर यह घोषणां फरमाई जावे कि भूमि हाल ख0नं0 2818 रकबा 1.34 हैक्टर, 2819 रकबा 2.16 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर, 2795 रकबा 1.64 हैक्टर ग्राम उदेईकलां वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है । इसे सेटिलमेंट विभाग ने गलत तौर पर आबिद पुत्र समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां के नाम दर्ज कर दिया है। इस इन्द्राज को वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित फरमाया जावे कि वह भूमि ख0नं0 2818, 2819, 2794, 2795 ग्राम उदेईकलां में दर्ज आबिद पुत्र समीरखां जाति मुसलमान का इन्द्राज हजफ करे व खातेदारी में वादी का इद्राज दर्ज करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि गत ख0नं0 426/1, 426/2, 426/3 से हाल ख0नं0 2818, 2819, 2794, 2795 बनाए गए हैं। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य घरू बातों पर कुछ तनाव हो गया था एवं उपरोक्त भूमि का नाम दर्ज होने के कारण मैंने क्रोधवश अपने पिता वादी महमूदखां से कह दिया था कि भूमि मेरे नाम दर्ज है परन्तु हकीकत यह है कि भूमि मेरे पिता महमूदखां पुत्र समीरखां के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। अब अगर यह भूमि दुरूस्ती होकर महमूद खां पुत्र समीर खां के नाम दर्ज हो जाती है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ती नहीं है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर आबिद पुत्र समीरखां के नाम से हजफ कर वादी महमूदखां पुत्र समीरखां के नाम दर्ज कर दी जावे।

जबाब के साथ ही वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से व पांच आदमियों के समझाने से राजीनामा हो गया है। भूमि गत ख0नं0 426/1, 426/2, 426/3 से बने नये ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर का इन्द्राज खातेदारी आबिद पुत्र समीरखां के नाम बलत दर्ज कर दिया है। इस नाम का ग्राम उदेईकलां में कोई व्यक्ति नहीं है। प्रतिवादी आबिद खां का पिता वादी महमूद खां है । अतः आबिद खां पुत्र समीर खां का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर ग्राम उदेईकलां महमूदखां पुत्र समीर खां मुसलमान निवासी उदेईकलां के नाम दर्ज कर दिया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2020, सं0 2008, नकल खतौनी एकीकरण सं0 2019, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध पेश किए हैं।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्धान वकीलों ने राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2019 के अनुसार ख0नं0 426/1, 426/2, 426/3 वादी की खातेदारी में दर्ज रहे हैं। ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर साबिक नम्बर 426/1, 426/2, 426/3 से बनना नकल मिलान क्षेत्रफल से साबित है। ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर नकल जमाबंदी सं0 2039 के अनुसार आबिद पुत्र समीरखां की खातेदारी में दर्ज है। भू–प्रबन्ध के बाद यह भूमि पूर्वानुसार महमूदखां पुत्र समीरखां के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान इसे आबिद खां पुत्र समीर खां के नाम लगा दिया गया है। प्रतिवादी आबिद खां ने अपने जबाब दावे में यह भूमि अपने पिता वादी महमूदखां के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है साथ ही वादी व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामे में भी यह भूमि वादी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया है। प्रस्तुत अभिलेख, जबाब दावा एवं राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर ग्राम उदेईकलां को वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं इसी अनुसार वादी का दावा डिक्री किए जाने योग्य है।

## आदेश

अतः राजीनामे के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 ...

1.64 हैक्टर ग्राम उदेईकलां का वादी महमूदखां पुत्र समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी आबिद पुत्र समीर खां जाति मुसलमान की खातेदारी से कम की जाकर वादी महमूदखां पुत्र समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03..2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( मुनिदेव यादव )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
**(Civil Proceede Code, Appendix D-1)**

**Judi/Civil**
**Part IV-10**

**अज अदालत** उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
**इजलास** मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

**उनवान**

महमूदखां पुत्र समीरखां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी —वादी

**बनाम**

1. आविद पुत्र महमूदखां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

**दावा घोषणां खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज**

मुकदमा नं. — 22/2015

**यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी** श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** राजीनामे के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर ग्राम उदेईकलां का वादी महमूदखां पुत्र समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी आबिद पुत्र समीर खां जाति मुसलमान की खातेदारी से कम की जाकर वादी महमूदखां पुत्र समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

आज दिनांक 14.03.2015 को डिक्री जारी की गई ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |